


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2013/वैशाख 27, 1935

No. 138]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2013/VAISAKHA 27, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 15 मई, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण [बीमा सलाहकार समिति (बैठक)] विनियम, 2000

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स./20/78/2013 - बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण [बीमा सलाहकार समिति(बैठक)] (पहला संशोधन) विनियम, 2012 के विनियम 3ए के अनुसार प्राधिकरण एतद्वारा अधिसूचना की तारीख अर्थात् 15 मई 2013 से बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन करते हुए निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है।

पुनर्गठित बीमा सलाहकार समिति निम्नानुसार है :

1. अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
2. अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक, युनाइटेड इंडिया इन्श्यूरेंस कंपनी लि.
3. अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम लि.
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इन्श्यूरेंस कंपनी लि.
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बजाज जनरल इन्श्यूरेंस कंपनी लि.

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टार हेल्थ इन्श्यूरेंस कंपनी लि.
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एग्नीकल्चर इन्श्यूरेंस कंपनी लि.
8. संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
9. निदेशक, राष्ट्रीय बीमा अकादमी
10. प्रबंध निदेशक, बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान
11. अध्यक्ष, भारतीय बीमांकिक संस्थान
12. अध्यक्ष, भारतीय बीमा दलाल संघ
13. मुख्य प्रशासन अधिकारी, युनाइटेड हेल्थकेयर पारेख टीपीए प्राइवेट लि.
14. भारतीय उद्योग महासंघ के प्रतिनिधि
15. अध्यक्ष, भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक संस्थान
16. महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय बीमा क्षेत्र कर्मचारी संघ
17. निदेशक, सा-धन
18. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूको बैंक
19. श्री एन. एम. गोवर्धन
20. प्रो. केया सेनगुप्ता, निदेशक, आईआईएम, शिलांग
21. प्रो. जयंत आर.वर्मा, आईआईएम, अहमदाबाद
22. श्री एस. रवि, रविराजन एण्ड कंपनी, नई दिल्ली
23. श्री राघव नरसले, प्रमुख अर्थशास्त्री
24. श्री असदुल्लाह पाशा, हैदराबाद
25. श्री शेष भट्टार श्रीनिवासा चारी, हैदराबाद

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.।।।/4/161/13/असाधारण]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 15th May, 2013

IRDA [INSURANCE ADVISORY COMMITTEE (MEETINGS)] REGULATIONS, 2000

F.No. IRDA/IAC/20/78/2013:-In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), and in terms of Regulation 3A of the IRDA [Insurance Advisory Committee (Meetings)] (First Amendment) Regulations, 2012 the Authority

hereby makes the following notification reconstituting the Insurance Advisory Committee with effect from the date of notification viz 15th May 2013.

The reconstituted Insurance Advisory Committee is as under :

1. Chairman, Life Insurance Corporation of India
2. Chairman-cum-Managing Director, United India Insurance Company Ltd
3. Chairman-cum-Managing Director, General Insurance Corporation of India Ltd
4. CEO, ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd
5. CEO, Bajaj General Insurance Company Ltd
6. CEO, Star Health Insurance Company Ltd
7. CMD, Agriculture Insurance Company Ltd
8. Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Government of India
9. Director, National Insurance Academy
10. Managing Director, Institute of Insurance and Risk Management
11. President, Institute of Actuaries of India
12. President, Insurance Brokers' Association of India
13. CAO, United Healthcare Parekh TPA Pvt Ltd
14. Representative of Confederation of Indian Industry
15. President, Indian Institute of Insurance Surveyors & Loss Assessors
16. Secretary General, National Federation of Insurance Field Workers of India
17. Director, Sa-Dhan
18. CMD, UCO Bank
19. Shri N.M. Govardhan
20. Prof. Keya Sengupta, Director, IIM Shillong
21. Prof. Jayant R. Varma, IIM, Ahmedabad
22. Shri S. Ravi, Ravirajan & Co, New Delhi
23. Shri Raghav Narsalay, Lead Economist
24. Shri Asadullah Pasha, Hyderabad
25. Shri Sessa Bhattar Srinivasa Chary, Hyderabad

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/13/Exty]